पंजीकृत चार्टर्ड सिविल अभियन्ता/वास्तुकार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र
(उत्तराखण्ड एम.एस.एम.ई. नीति–2023 के अंतर्गत नवीन/ विस्तारीकरण युक्त विनिर्माणक उद्यमों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स .....(इकाई का नाम व पता) ने उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 के अंतर्गत नवीन इकाई की स्थापना/ विद्यमान इकाई के पर्याप्त विस्तारीकरण (कृपया नवीन अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण में से एक को चिह्नित करें) हेतु पूंजीगत उपादान/अतिरिक्त पूंजीगत उपादान के लिये अर्ह सिविल कार्य में निम्नवत नवीन पूंजी निवेश किया है–

क्र.सं.	कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी के मद का नाम	मूल्य रूपये में
1.	कार्यशाला भवन अर्थात् संयंत्र व मशीनरी के लिये निर्मित भवन।	
2.	अनुसंधान एवं विकास (R & D) हेतु भवन, यदि यह कार्यशाला भवन परिसर में स्थित हो।	
3.	परीक्षण (Testing) सुविधा हेतु भवन, यदि यह कार्यशाला भवन परिसर में स्थित हो।	
4.	भण्डारण भवन व विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बद्ध अन्य भवन, यदि यह कार्यशाला भवन परिसर में स्थित हो।	
5.	अग्निशमन व विद्युत पारेषण कक्ष, यदि यह कार्यशाला भवन परिसर में स्थित हो।	
6.	विनिर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्मित कंक्रीट/धातु की पानी की टंकी।	
कुल योग		

मैं/हमने इकाई के लेखा बहियों, बीजक आदि को जांच लिया है और इस आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि इकाई द्वारा उक्तानुसार सिविल कार्य में स्थायी पूंजी निवेश किया गया है। सिविल कार्य हेतु स्थायी पूंजी निवेश के आंगणन में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा जारी दर अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम है, को ही आंगणन में लिया गया है।

दिनांकः
स्थानः

चार्टर्ड सिविल अभियन्ता/वास्तुकार के हस्ताक्षर
नाम व पंजीकरण संख्या युक्त मोहर